

(आदेश 20 नियम 6,7 जा,दी.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बड़ीसादड़ी

श्री जवाहर लाल जैन आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी बड़ीसादड़ी

1. श्री मति रामी पत्नी महादेव डांगी निवासी अमीरामा तहसील बड़ीसादड़ी
वादी

। बनाम ।।

1. श्री वरदीचंद पिता बगदीराम डांगी निवासी सेमलिया तहसील बड़ीसादड़ी
2. श्री नानूराम पिता बगदीराम डांगी निवासी सेमलिया तहसील बड़ीसादड़ी
3. श्री गणेश पिता बगदीराम डांगी निवासी सेमलिया तहसील बड़ीसादड़ी
4. श्री मति शांता बाई पिता बगदीराम डांगी निवासी सेमलिया तहसील बड़ीसादड़ी
5. श्री धुलीबाई पत्नी स्व. बगदीराम डांगी निवासी सेमलिया तहसील बड़ीसादड़ी
6. श्री मैनेजर चि.स.भू.विकास बैंक लि. बड़ीसादड़ी
7. श्री सरकार जरिये तहसीलदार बड़ीसादड़ी

प्रतिवादीगण

प्रकरण सं. 16/2019 वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53,188 आर.टी.ए. वादी की ओर से वकील दिनेश कुमार और प्रतिवादी की ओर से वकील एक्स पार्टी की उपस्थिति में यह वाद आज दिनांक को अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है। कि मौजा सेमलिया की वादग्रस्त आ.न. 224,276,281,282,304,307,311,478 कुल किता 08 रकबा 4.47 हेक्टर भूमि का बंटवाड़ा पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार किया जाता है।

1. श्री मति रामी पत्नी महादेव डांगी निवासी अमीरामा के रहेगी।

आ.न.	रकबा	लगान
304मी.	0.71	13.49
307मी.	0.47	19.74
281	0.31	5.89
276/1	0.27	5.13
478/1	0.27	0.81
282/1	0.20	3.80
योग 06	2.23	48.86

2. श्री वरदीचंद, नानूराम, गणेश, शांता बाई पिता बगदीराम डांगी मु. धुलीबाई पत्नी स्व. बगदीराम डांगी निवासी सेमलिया तहसील बड़ीसादड़ी के रहेगी। रइन बदस्तुर

आ.न.	रकबा	लगान
311	0.07	1.33
304/1	0.45	8.55
307/1	0.23	9.66
282मी.	0.25	4.75
276मी.	0.27	5.13
478मी.	0.27	0.81
224	0.70	18.20
योग 07	2.24	48.43

इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में अंकन किया जावे।

इस वाद के खर्च..... प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहित..... को दी जावे। यह आज दिनांक 22.03.2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी की गयी।



जवाहर लाल जैन (R.A.S.)

उपखण्ड अधिकारी

बड़ीसादड़ी जिला न्यायालय

